फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		आज दिनांक 04.1.18 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य वर/कंडोलेंस है । अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08.1.18 को पेश हो ।
		आज दिनांक 08.1.18 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य वर/कंडोलेंस है । अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15.1.18 को पेश हो ।
	15/01/18	पत्रावली पेश हुई। उभय-पक्ष अधिवक्ता की आपत्ति कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेशार्थ दिनांक 23/01/18 को पेश हो।
	23/01/18	पत्रावली पेश हुई। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली 30/1/18 को पेश हो।
		आज दिनांक 30/1/18 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अ[illegible] ...र्य वर/कंडो[illegible] है । पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02/2/18 को पेश हो ।
	02/2/18	पत्रावली पेश, वास्ते आदेशार्थ आपत्ति कुर्रेजात प्रस्ताव खारिज मुताबिक कुर्रेजात प्रस्तावों के वादी वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथ... से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम होकर दाखि... दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

वाद संख्या :– 27/2013

पीठासीन अधिकारी : आशीष कुमार , आर0ए0एस0

प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र गोविन्दा उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम ढांको की ढाणी, सिरसी तिराहा, तहसील जयपुर जिला– जयपुर।

वादी

बनाम

1. फरीदा दुबाश पुत्री भेराजी दुबाश जाति पारसी निवासी ग्राम सिरसी तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. महरूबी दुबाश पुत्र श्री अधोशेर बाडिया जाति पारसी निवासी ग्राम सिरसी तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक जयपुर तृतीय तहसील पता झोटवाडा तहसील तहसील जयपुर जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।
5. हरिओम बिल्डस्वायर प्रा.लि. कम्पनी कार्यालय - डी - 118ए, कृष्णा मार्ग, बापू नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्री राकेश धामाणी पुत्र श्री गोविन्दशरण धामाणी जाति महाजन निवासी - डी - 118ए, कृष्णा मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 02.02.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र ग्राम सिरसी खसरा नम्बर 734 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 735 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 736 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 772 रकबा 06 बिस्वा कुल 04 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा के विभाजन हेतु पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2014 को पक्षकारों के मध्य से किये जानें हेतु वाद में प्राथमिक-डिक्री पारित की गई तथा तहसीलदार-जयपुर से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये।

तहसीलदार-जयपुर से जिसमें संबंधित पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक के दिनांकित 11.07.2016 हस्ताक्षरित रिपोर्ट के साथ तथा तहसीलदार-जयपुर की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.09.2016 के साथ कुर्रेजात प्रस्ताव प्रेषित किये गये जिस पर न्यायालय में दिनांक 03.04.2017 को प्रतिवादी सं. 5 की एक पक्षीय

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

कार्यवाही हो चुकी थी उसके द्वारा प्रा.पत्र 09R7CPC सपठित धारा 151 CPC प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र, कुर्रेजात में आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की सशर्त पर स्वीकार किया गया। दिनांक 18.05.2017 को प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात प्रस्ताव पर बहस सुनी गई तथा आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार जयपुर से पुन: कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाना न्यायोचित समझा गया तथा नये सिरे से प्रस्ताव चाहे गये।

तहसीलदार-जयपुर द्वारा पंत्राक भू.अ./कुर्रे/2017/5265 दिनांक 19.09.2017 के पुन: कुर्रेजात प्रस्ताव प्रेषित किये गये। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों के क्रम में प्रतिवादी 05 की ओर से आपत्ति कुर्रेजात प्रस्ताव प्रस्तुत की गई जिस पर जवाब/बहस द्वारा प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार जयपुर से प्राप्त पुन: कुर्रेजात प्रस्तावों के वाद-पत्र में पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	फरीदा दुबाश पुत्री भेराजी दुबाश व महरूबी दुबाश पुत्र श्री अधोशेर बाडिया	734 735 736	1-02 1-00 0-03	बाराकी 1 बाराकी 1 ग०मु० 1 0-01 बेजड 1 0-02	
		किता 3	2-05		
2	प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र गोविन्दा	736/1 772	0-03 0-06	बेजड 1 चाही 1 0-01 जाव 1 0-05	
		किता 2	0-09		

उपर्युक्त अनुसार पक्षकारों के मध्य हुये विभाजन अनुसार पृथक-पृथक खाते कायम करे तथा लगान का भी निर्धारण करें।

आज दिंनाक 02.02.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

अ० डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी** जयपुर प्रथम.. मुकाम ....**जयपुर**... .... ब अलजास ....**आशीष कुमार (आर.ए.एस.)**.. ....**प्रताप उर्फ रामप्रताप**...................... बन.................... **फरीदा दुबाश वगैरह**......................................

दावा बाबत् –**विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188**

राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकद्दमा नं. ....**27**...... सन् .....**2013**.......

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू .... व हाजरी .... मिनजामिन मुद्दई रूबरू .... मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **ग्राम सिरसी तहसील–जयपुर स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 734 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 735 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 736 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 772 रकबा 06 बिस्वा कुल 04 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा अन्तर्गत तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–** ....**लगातार (कृ.प.उ.)...पृष्ठ 2 पर** ....निज...मबलिक.. ....बाबत् .... खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक .... को अदा करें।

वसूलियाव तक .... को अदा करें।

बसुखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....**02.02.** ...... सन् ......**2018**...... को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर

दस्तखत ......उप खण्ड अधिकारी......

ओहदा ....जयपुर (प्रथम), जयपुर.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्आम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्आम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	--		फीस कमिश्नर	--	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

.........लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

...............लगातार

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	फरीदा दुबाश पुत्री भेराजी दुबाश व महरूबी दुबाश पुत्र श्री अधोशेर बाडिया	734 735 736	1-02 1-00 0-03	बाराकी 1 बाराकी 1 ग०मु० 1 0-01 बेजड 1 0-02	
		किता 3	2-05		
2	प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र गोविन्दा	736/1 772	0-03 0-06	बेजड 1 चाही 1 0-01 जाव 1 0-05	
		किता 2	0-09		

उपर्युक्त अनुसार पक्षकारों के मध्य उक्तानुसार विभाजन कर पृथक-पृथक खाते कायम करें व लगान का निर्धारण भी करें।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर